प्रार्थना पत्र ... हेतु दिनांक 25/8/22 को पेश हो।

25/8/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा०पत्र 7-1 सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/9/22 को पेश हो।

6/9/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र 7-1 सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। विवादित आराजी ग्राम काशपुरिया की खसरा संख्या 478, 8132, 1078, 1079, 1081, 1089 भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। खसरा संख्या 478 अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों मे प्रतिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार [illegible] खातेदार के विरुद्ध आदेश प्राप्त [illegible] सकते है। [illegible] प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अपूर्णनीय क्षति व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, रिकार्ड दस्तावेज, बहस वकील पक्षकारान एवं उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner